

**K-2021-9-SourabhCollege (E-20108)**

भारत सरकार / Government of India

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन एवं डेयरी विभाग / Department of Animal Husbandry & Dairying

\*\*\*\*\*

कृषि भवन, नई दिल्ली

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated the 16<sup>th</sup> May, 2023

सेवा में,

The Secretary,  
Rajasthan Delhi Education Society,  
Hinduan City Karauli  
Rajasthan

**विषय:** Renewal of **Letter of permission** for third and fourth year B.V.Sc. & A.H. programme at Shourabh College of Veterinary Science, Kheda, Hinduan City, Karauli, Rajasthan under Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner for the academic year 2023-24 and 2024-25 -reg

Please refer to the application along with Form X, received from Secretary, Rajasthan Delhi Education Society, Hinduan City Karauli, Rajasthan vide letter No. RDES/2022/234 dated 24/08/2022 requesting for renewal of Letter of permission for third and fourth year B.V.Sc. & A.H. programme at Shourabh College of Veterinary Science, Kheda, Hinduan City, Karauli, Rajasthan under Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner for the academic year 2023-24 and 2024-25.

In this context, the said application was forwarded to the Veterinary Council of India as per the provisions of the Veterinary Council of India (procedure for recognition and de-recognition of Veterinary Colleges and Veterinary Qualifications) Rules, 2017. The inspection was conducted by the VCI on 23-25 January, 2023 at the Shourabh College of Veterinary Science, Kheda, Hinduan City, Karauli, Rajasthan under Rajasthan University of Veterinary & Animal Sciences, Bikaner. The VCI considered the Inspection Report and noted that the College has more or less fulfilled the requirements in terms of manpower and infrastructure as per the provisions of VCI Rules, 2017 and MSVE Regulations, 2016 and recommended for renewal of Letter of Permission, for Third and Fourth Year B.V.Sc & A.H Degree Programme as provided under Rule 9(8) of VCI Rules, 2017.

Therefore, I am directed to convey, the sanction of the Central Government for issue of renewal of **Letter of Permission** for Third and Fourth -Year B.V.Sc & A.H Degree Programme, in accordance to rule 9 (11) of VCI Rules 2017, to the applicant college commencing for the academic year 2023-24 and 2024-25.

(Contd....)

The acceptance of the "Letter of Permission" may be communicated within 30 days of receipt of this communication.

(डॉ. आर.जी. बांबल)  
संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. Principal Secretary, Government of Rajasthan (secy\_ah@rajasthan.gov.in) - for kind information please
2. Director, Animal Husbandry & Dairying, Rajasthan , (director.ahd@rajasthan.gov.in)
3. Registrar, RAJUVAS, Rajasthan (regrajuvas@gmail.com)
4. Secretary VCI, August Kranti Marg, Bhikaji Cama Place, New Delhi





Ph.No. 0151 - 2540028 (O)  
2549348 (Fax)

## RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F.(427)/ RAJUVAS / Reg/ *Gm* /2023/ 658

Dated: 12-08-2023

### आदेश

प्रमुख सचिव-मा.राज्यपाल महोदय, राजभवन के आदेश क्रमांक एफ37(3)आरबी/ 2023/ 103 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा निजी पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की सम्बद्धता के संबंध में प्राप्त आवेदन के निस्तारण हेतु गठित समिति की संस्तुति दिनांक 04.08.2023 के क्रम में प्रमुख सचिव-मा.राज्यपाल महोदय के आदेश क्रमांक एफ.37(3)आरबी/ 2023/ 4191 दिनांक 07.08.2023 द्वारा प्रदान किये गये निर्देशों के क्रम में जांच समिति की अनुशंसा व संयुक्त आयुक्त, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के कार्यालय पत्रांक के-2021-9 सौरभ कॉलेज (इ-20108) दिनांक 16.05.2023 के द्वारा निर्गत सहमति पत्र (Letter of Permission) for third and Fourth Year BVSc & AH Degree Programme to the applicant college commencing for the academic year 2023-24 and 2024-25 के आधार पर तथा सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइन्स, खेडा, हिण्डौन सिटी द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, के समस्त मानक सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर आगामी दो वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के रेग्यूलेशन-2016 के अनुसार पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सभी भौतिक सुविधाएं, मय शिक्षक एवं गैर-शिक्षक मानव संसाधन मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करें।

अन्य शर्तें पूर्व में निर्गत अस्थायी सम्बद्धता संबंधी आदेश क्रमांक एफ. 427/राजुवास/रजि/सामान्य/ 2022/ 660 दिनांक 15.11.2022 के अनुसार यथावत रहेंगी।

*Gm*  
(बिन्दु खत्री) आरएएस  
कुलसचिव

### प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, कुलपति, राजुवास, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. शासन सचिव, भारत सरकार, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
4. उप-महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-11, पूसा, नई दिल्ली।
5. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्टेट वेटरनरी काउन्सिल, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर।
7. संकायाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
8. समस्त अधिष्ठाता एवं निदेशकगण, राजुवास, बीकानेर .....
9. वित्त नियंत्रक, राजुवास, बीकानेर।
10. परीक्षा नियंत्रक, राजुवास, बीकानेर।
11. चेयरमैन, यूजी एडमिशन बोर्ड, राजुवास, बीकानेर।
12. नोडल ऑफिसर, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, राजुवास, बीकानेर।
13. अधिष्ठाता, सौरभ कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइन्स, खेडा, हिण्डौन सिटी
14. अनुभाग अधिकारी, मीटिंग, राजुवास, बीकानेर।
15. रक्षित पत्रावली।

*Gm*  
(बिन्दु खत्री) आरएएस  
कुलसचिव